

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 25/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बालुसिंह पिता विजयसिंह राजपूत
2. उच्छब कंवर बेवा विजयसिंह राजपूत
3. भैरूलाल पिता बरदा बलाई
4. सुखीदेवी पत्नि रतनलाल कुमावत
5. खेमी पत्नि नारू कुमावत

निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता सुरजमल बलाई
2. शोभालाल पिता सुरजमल बलाई
3. सोहनी पुत्री सुरजमल बलाई
4. नरपतसिंह पिता शिवसिंह राजपूत
5. भोपालसिंह पिता शिवसिंह राजपूत
6. स्वरूपसिंह पिता शिवसिंह राजपूत
7. मोहनकंवर बेवा शिवसिंह राजपूत
8. बरजी पत्नि मोहन कुमावत
9. रामचन्द्र पिता भैरा कुमावत
10. गहरू पिता भैरा कुमावत
11. रामी पुत्री भैरा कुमावत
12. भरजी पुत्री भैरा कुमावत
13. डाली पुत्री भैरा कुमावत
14. नोली बेवा भैरा कुमावत

सर्व निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण


:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मटुनिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1272 रकबा 0.05 हे0, 1273 रकबा 0.37 हे0, 1274 रकबा 0.04 हे0 भूमि कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 103 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।


उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्रमशः...

//02//


प्रकरण संख्या :- 25/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मटुनिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1272 रकबा 0.05 हे0, 1273 रकबा 0.37 हे0, 1274 रकबा 0.04 हे0 भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 0.46 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500- (पाँच सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500- (पाँच सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28 /06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपनिवेश अधिकारी
(एल0शुमी)
गंगापुर जिला, भीलवाड़ा
गंगापुर(भीलवाड़ा)